पकड़ में नहीं आया बाघ

बिछिया के लोग दहशत में, फसल कटाई प्रभावित

भुआ बिछिया, देशबन्धु। बीती रात रात करीब दो बजे बिछिया जलाशय जल द्वारा के पास बाघ को देखा गया। रात्रि तीन बजे सरारटोला प्राथमिक शाला के पीछे लगी बस्ती में उसने एक बैल पर हमला कर दिया। उसकी गर्दन में चोट आई है।

बाघ भुआ बिछिया नगर के जंतीपुर, सरारटोला, भडंगा मोहल्ला, डुंगरा गांव के आसपास विचरण कर रहा है। यह कृषि क्षेत्र है। जहां बड़े रकबे में धान लगी है। बाघ और पककर तैयार धान फसल का रंग एक सा है। बाघ कान्हा का चिंहित है। जीपीएस लगा हुआ है। उसकी लोकेशन भी यही पता चल रही हं। वन विभाग का अमला सड़क पर गश्त कर रहा है।

बाघ का आतंक इतना है कि ग्रामीण डर के कारण शाम होते ही घर में दुबके रहते हैं। इससे फसल की कटाई भी प्रभावित हो रही है। बाघ की दहशत इसलिए भी ज्यादा है कि वह अब तक वन विभाग की पकड़ में नहीं आया है।

भ्रष्टाचार की जांच के लिए टंकी पर चढ़े जनपद उपाध्यक्ष

कहा, तीन ग्राम पंचायतों में पौधरोपण के नाम पर लाखों की गड़बड़ी

मंडला, देशबन्धु। जिले के ढेंको गांव से धरना प्रदर्शन की अनोखी तस्वीर सामने आई है। यहां जनपद उपाध्यक्ष, पंच सहित करीब एक दर्जन लोग पानी टंकी पर चढ़कर ढेंको, ग्वारा और सुनहरा पंचायत में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की। इस दौरान उन्होंने आत्मदाह की भी धमकी दी।

मंडला जनपद उपाध्यक्ष संदीप सिंगौर ने बताया कि ढेंको, ग्वारा और सुनहरा ग्राम पंचायत में लाखों रुपए का वृक्षारोपण और अन्य घोटाला हुआ है। साथ ही खेल मैदान में काम का मूल्यांकन हुए बिना

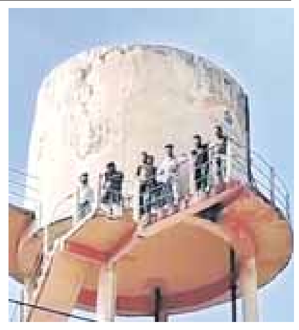

ही लाखों के बिलों का भुगतान कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मंगलवार को स्थानीय पंच और ग्रामीणों के साथ सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। यदि जल्द ही जांच कर कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा।

कृषि उपज मंडी समिति बिछिया की कार्रवाई

बिना अनुज्ञा पत्र अवैध परिवहन करते वाहन का बनाया प्रकरण

भुआ बिछिया, देशबन्धु। कृषि उपज मंडी समिति बिछिया के कर्मचारियों द्वारा मंडी क्षेत्र से बिना मंडी शुल्क चुकाए परिवहन करने वाले वाहनों की जांच लगातार की जा रही है।

इसी तारतम्य में मंगलवार को प्रभारी मंडी सचिव कन्हैयासिंह मरकाम के मार्गदर्शन में मंडी उड़नदस्ता दल बिछिया के कर्मचारी आकाश ठाकुर सहायक उप निरीक्षक, बृजकिशोर नामदेव सहायक उपनिरीक्षक एवं कन्हैया पटेल सहायक उप निरीक्षक के द्वारा वाहन क्रमांक एम.पी.51 जी 1034 में बिना अनुज्ञा पत्र के अवैध रूप

से परिवहित कृषि उपज धान कुल 28क्विंटल का व्यापारी प्यारे लाल पटेल द्वारा मण्डला मंडी में पदमी स्थित राइस मिल परिवहित किये जा रहे वाहन के द्वारा मंडी अधिनियम 1972 की धारा 19(6) का उल्लंघन करते पाए जाने पर वाहन को जब्त कर पंचनामा तैयार किया गया।

जिसमे व्यापारी प्यारेलाल पटेल निवासी माधोपुर द्वारा अपनी गलती मानकर समझौता हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर मंडी अधिनियम की धारा 19(4) के तहत दाण्डिक मंडी शुल्क पांच गुना राशी ,निराश्रित शुल्क तथा समझौता शुल्क राशि रुपए 4864/- रुपये का जुर्माना वसूल कर प्रकरण को समाप्त किया गया तथा व्यापारी को मंडी लायसेंस लेकर नियमानुसार व्यापार करने हेतु समझाईश दी गई।

सार-समाचार

लापरवाही बरतने पर छात्रावास टाटरी का निलंबित

मण्डला, देशबन्धु। सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग ने सीनियर आदिवासी बालक छात्रावास टाटरी विकासखंड नैनपुर में पदस्थ भृत्य धनेश्वर यादव को कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। भृत्य यादव को शासन के नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी मवई रहेगा।

तत्काल श्रवण यंत्र मिलने से गौरी शंकर ने प्रसन्नता व्यक्त की

मण्डला, देशबन्धु। जनसुनवाई के माध्यम से प्रशासन के संज्ञान में आने वाली समस्या का यथासंभव शीघ्र एवं संवेदनशीलता के साथ निराकरण किया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंचे ठोंड़ा बिछिया निवासी गौरी शंकर पटेल ने श्रवण यंत्र प्राप्त करने के संबंध आवेदन दिया। गौरी शंकर ने बताया कि दिव्यांग होने के कारण मुझे सुनने में बहुत परेशानी होती है। मुझे श्रवण यंत्र प्रदान किया जाए। सीईओ जिला पंचायत श्रेयांश कूमट ने सामाजिक न्याय विभाग को आवेदकों की पात्रता का परीक्षण कर मौके पर ही श्रवण यंत्र प्रदान करने के निर्देश दिए। श्रवण यंत्र पाकर गौरी शंकर कहते हैं कि समस्या का मौके पर ही निराकरण हो जाने से मैं बहुत खुश हूं और मैं जिला प्रशासन के प्रति धन्यवाद करता हूं।

तीन हत्याओं के बाद पसरा सन्नाटा

डिंडोरी-गोरखपुर, देशबन्धु। जमीन के विवाद में एक परिवार के तीन लोगों की हत्या के बाद रविवार को सुबह नौ बजे से लेकर चार बजे तक आरोपियों के घर सहित पूरे गांव और जंगल में ड्रोन कैमरा उड़ाकर आरोपियों की तलाश करने का प्रयास किया गया और सर्चिंग अभियान चलाया गया। मृतक परिवार की भागा बाई मरावी के अनुसार जमीन का विवाद काफी पुराना है। लगभग 22 एकड़ की जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। तीन हत्याओं के बाद गांव में सन्नाटा पसरा है और लोग दहशत में हैं।

मृतक धर्म सिंह मरावी की धर्मपत्नी की खेत में उसके पति और बेटों ने बीज बोया था, लेकिन विवाद वाले दिन आरोपी पक्ष के लोगों द्वारा उनके बोई गई धान की तैयार फसल को काटा जा रहा था। फसल काटने से मना करने पर यह विवाद उपजा और तीन लोगों की जान चली गई। अब न आरोपी पक्ष फसल काट पा रहा हैं और न ही मृतक पक्ष। भागा बाई के अनुसार जितना हिस्सा आरोपी पक्ष ने काटा था उसमें से लगभग धान के पच्चीस बोझा वह ले गये हैं, जबकि शेष कटी फसल अभी भी खेत में यूं ही पड़ी है। इससे सटकर आधे खेत की पकी पकाई फसल भी कटने के लिए तैयार है। उल्लेखनीय हैं कि यदि जल्द ही खेत की तैयार फसल को नहीं काटा गया तो निश्चित ही दाने समेत बालियां झड़ जाएगी, लेकिन इस सबके बीच अब पूरे खेत की फसल का हकदार कौन होगा।

मृतक शिवराज मरावी की पत्नी मेला बाई मरावी ने रविवार को बताया कि जब गुरुवार की शाम खेत में विवाद होने लगा तो मेरे पति स्वर्गीय शिवराज मरावी घर से यह कहकर निकले कि मैं अभी विवाद के वीडियो बनाकर आता हूं। मैंने भी साथ चलने की इच्छा जताई तो उन्होंने दरवाजे पर हाथ फैलाकर मेरा रास्ता रोककर कहा कि जब तक मैं न आ जाऊं मेरे आठ माह के बच्चे को लेकर घर से बाहर मत निकलना। फिर वह जीवित नहीं लौटे। दुख में डूबी महिला रोते हुए बताया कि मुझे मालूम नहीं था कि मेरे पति अंतिम बार घर से बाहर जा रहे हैं वरना मैं भी साथ हो लेती। बताया कि जब गुहार लगाई कि पानी पिलाओ तब मैं खेत के तरफ पानी लेकर गई तो वहां देखी कि पति जमीन पर लहूलुहान पड़े रहे। पति अकेले परिवार की परवरिश करने वाले थे। हमारे परिवार में कोई कमाने वाला नहीं बचा। हमारे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटा है। ऐसी परिस्थितियों में आगे का जीवनयापन कैसे होगा समझ ही नहीं आ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार इस हत्याकांड ने सबके दिल दहला दिया है। लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया। घटना के बाद से ही गांव में दहशत का माहौल हैं।

कलेक्टर ने माहिष्मति घाट का निरीक्षण किया

घाट में नामकरण का बोर्ड लगाने के निर्देश दिए

मण्डला, देशबन्धु। कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने मंगलवार को माहिष्मति घाट (रपटाघाट) का निरीक्षण किया। उन्होंने माहिष्मति घाट (रपटाघाट) में स्थल चिन्हित कर पंचचैकी महाआरती आयोजित करने के लिए मंच बनाने के निर्देश दिए।

एकादशी से माहिष्मति घाट (रपटाघाट) में माँ नर्मदा जी की पंचचैकी महाआरती प्रारंभ की जाएगी। पंचचैकी महाआरती में जिले के सभी जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, श्रद्धालु और मंदिर समितियों के प्रमुख शामिल होंगे। कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने माहिष्मति घाट (रपटाघाट) में श्रद्धालुओं और नागरिकों को नर्मदा नदी में साबुन से नहीं नहाने और कपड़े नहीं धोने के निर्देश दिए। जिससे नर्मदा नदी का जल साफ व स्वच्छ प्रवाहित होता रहे। उन्होंने इसके लिए माहिष्मति घाट (रपटाघाट) में पुलिस और नगरपालिका के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए।

अब नर्मदा नदी के माहिष्मति घाट (रपटाघाट) में प्लास्टिक, साबुन और गंदे कपड़े धोने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने माहिष्मति घाट (रपटाघाट) में मादक पदार्थों का सेवन करने वाले असामाजिक तत्वों के विरूद्ध थाना कोतवाली प्रभारी को कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। माहिष्मति घाट (रपटाघाट) से भिखारियों को हटाने की कार्यवाही की जाएगी।

माहिष्मति घाट (रपटाघाट) में रोजाना साफ-सफाई और प्रकाश का प्रबंध होगा। अस्त-व्यस्त फैली हुई विद्युत तारों को व्यवस्थित ढंग से स्थापित की जाएगी। अपूर्ण व अधूरी दीवारों को पूर्ण कर पुताई होगी। उन्होंने नर्मदा नदी के तट पर स्थित घास और काई को साफ करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार से माहिष्मति घाट (रपटाघाट) में नामकरण का बोर्ड लगाया जाएगा। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रेयांश कूमट, अपर कलेक्टर राजेन्द्र कुमार सिंह, मुख्य नगर पालिका अधिकारी गजानंद नाफड़े सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे।

सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का निराकरण संतुष्टि पूर्वक दर्ज करें: सीईओ

मण्डला, देशबन्धु। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रेयांश कूमट ने कहा कि सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों का निराकरण लेवल-1 या लेवल-2 पर ही करना सुनिश्चित करें। जिससे सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों का निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ बंद हो सके। सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों का निराकरण सभी विभाग प्रमुख निर्धारित समय सीमा में जवाब देना सुनिश्चित करें।

जिससे सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों में जिले की ग्रेडिंग में सुधार हो सके। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रेयांश कूमट मंगलवार को जिला योजना भवन में सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों की विभागवार समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर अपर कलेक्टर राजेन्द्र कुमार सिंह, संयुक्त कलेक्टर अरविंद सिंह, संयुक्त कलेक्टर जेपी यादव, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती क्षमा सराफ सहित विभागीय अधिकारी मौजूद थे। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रेयांश कूमट ने सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों की सूक्ष्मता से जाँच कर पात्रता धारी शिकायतकर्ताओं को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों में शिकायत कर्ताओं से संपर्क कर शिकायतों को संतुष्टि पूर्वक दर्ज कराने को कहा। सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों में कार्यक्षेत्र से बाहर शिकायतों को संबंधित विभागों को हस्तांतरित करने के निर्देश दिए।

थाना महाराजपुर पुलिस द्वारा जुआ फड़ पर कार्रवाई

10 आरोपियों के विरूद्ध जुऑ अधिनियम के तहत पुलिस द्वारा दर्ज किया प्रकरण

मण्डला, देशबन्धु। मंडला पुलिस द्वारा अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध व जुआ, सट्टा, अवैध शराब विक्रय निर्माण व परिवहन की प्राप्त सूचना पर लगातार तत्परता से कार्यवाही करते हुए वैधानिक कार्यवाही की जा रहीं हैं। इसी क्रम में थाना प्रभारी महाराजपुर द्वारा टीम गठित कर दिनांक 04.11.2024 को मुखबिर सूचना पर कार्यवाही करते हुए ग्राम इमलीगोहान भोईटोला में खेतो में जहाँ कुछ लोग तांस के पत्तों पर रुपये पैसों का दांव लगाकर हार-जीत का खेल मन्ना खेल रहें थे पुलिस द्वारा घेराबंदी कर पकड़े जो मौके पर 10 लोग मिले जिनके पास एवं फड़ से तांस के 52 पत्ते नगदी रकम 4480७- रुपये मिले साथ ही आरोपियों द्वारा खेत में खेलने हेतु लगाये गये तमाम संसाधन मिले जिसमें एक चटाई, बायर तथा एक फिलिफ्स बल्ब थे को भी पुलिस द्वारा जप्त किया गया। थाना महाराजपुर द्वारा सभी 10 आरोपियों के विरुध्द अपराध क्रमांक 563७24 धारा 13 जुआ एक्ट का पंजीबध्द क विवेचना में लिया गया।

विशेष भूमिका उक्त कार्यवाही में निरीक्षक ममता परस्ते थाना प्रभारी महाराजपुर, उनि. भूपेन्द्र अहिरवार, सउनि रमेश पाल, प्र.आर. केशव मरावी, अरविंद सिंह, आर. प्रियांस पाठक, शिवा नाविक, परमवीर, हरिदास बिंझिया, मनोहर धुर्वे, तोपसिंह सल्लाम, डायल 100 चालक डेविड तिर्की एवं अन्य स्टाफ की भूमिका रही।

21 पंचायतों में 'आरोग्यम मंडला' जन स्वास्थ्य शिविर आज

मण्डला, देशबन्धु। कलेक्टर सोमेश मिश्रा के निर्देशन में 6 नवंबर 2024 दिन बुधवार को 21 ग्राम पंचायतों में 'आरोग्यम मण्डला' जन स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत आमजन को ग्राम पंचायत स्तर पर ही प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार 6 नवंबर को समस्त विकासखंडों के चिन्हित ग्राम पंचायतों में आरोग्यम मंडला जन स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। विकासखंड मंडला में ग्राम पंचायत खुक्सर, जारगी और पीपरपानी में शिविर लगाए जाएंगे। विकासखंड नैनपुर में ग्राम पंचायत जेवनारा, तिंदुआबम्हनी और पिपरिया, विकासखंड बिछिया में ग्राम पंचायत हर्राभाट, नेवसा बहेरा और हर्राभाट माल, विकासखंड बीजाडांडी में ग्राम पंचायत बैरपानी और चरगांव कला, विकासखंड मोहगाँव में ग्राम पंचायत गिठार मलपहरी और खाल्हेगिठौरी, विकासखंड घुघरी में ग्राम पंचायत देवहरा और सिंघनपुर, विकासखंड मवई में ग्राम पंचायत मझगांव और पिपरी माल, विकासखंड नारायणगंज में ग्राम पंचायत बरबटी और डालाखापा, विकासखंड निवास में ग्राम पंचायत महरासिवनी और भानपुर बिसौरा में शिविर लगाए जाएंगे।

जनसुनवाई में 53 आवेदकों की सुनीं गईं समस्याएं

मण्डला, देशबन्धु। प्रत्येक मंगलवार को आयोजित की जाने वाली जनसुनवाई में 53 आवेदकों ने अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। जिला पंचायत सीईओ श्रेयांश कूमट ने योजना भवन में लोगों की समस्याएं सुनते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को उनके जल्द निराकरण के निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर राजेन्द्र कुमार सिंह, संयुक्त कलेक्टर अरविंद सिंह, जेपी यादव, डिप्टी कलेक्टर क्षमा सराफ संबंधित जिला अधिकारी उपस्थित थे। अनुविभाग स्तर पर भी जनसुनवाई आयोजित कर लोगों की समस्याएं सुनी गई।

सम्पन्न हुई जनसुनवाई में ग्राम मोहगांव रैयत निवास नारायण प्रसाद पदम ने बिजली का बिल अधिक आने के संबंध में, रानी अवंती बाई वार्ड मण्डला निवासी इकबाल खान ने विद्युत पोल हटाने

के संबंध में, बड़ी खैरी निवासी भारती गोटिया ने आर्थिक सहायता का लाभ दिलाने के संबंध, गुड़ा अंजनिया निवासी प्रभा परस्ते ने लोन की राशि माफ करने के संबंध में, ग्राम पड़रिया निवासी कलाबाई ने पीएम आवास योजना का लाभ दिलाने के संबंध में, कैंदो ग्राम समस्त ग्रामवासियों ने रोड़ एवं बिजली लगवाने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किए।

संगम महाराजपुर के मड़ई मेले में चलाया जागरूकता अभियान

मण्डला, देशबन्धु। प्रशासक वन स्टॉप सेंटर मंडला ने बताया कि संगम महाराजपुर जिला मण्डला में मड़ई मेला के आयोजन में जिला कार्यक्रम अधिकारी शालिनी तिवारी महिला एवं बाल विकास के निर्देशान में वन स्टॉप सेंटर (सखी) महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बाल विवाह रोकने हेतु प्रचार प्रसार किया गया। जिसमें वन स्टॉप सेंटर मण्डला प्रशासक मधुलिका उपाध्याय द्वारा आस-पास से आये हुये लोगों को बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम अंतर्गत बाल विवाह से जुड़ी सामाजिक कुरीतियों और उनके उम्र के पहले विवाह के दुष्परिणामों से अवगत कराया गया।

उन्होंने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अनुसार 21 वर्ष कम आयु का लड़का और 18 वर्ष से कम आयु की लड़की का विवाह बाल विवाह माना जाता है। जिसमें जेल एवं आर्थिक दण्ड का प्रावधान है। इसके अलावा पॉक्सो एक्ट में कड़ी कार्यवाही भी की जाती है। इस प्रकार अधिनियम के तहत दोषी पाये जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति जो विवाह समारोह में शामिल होते हैं या सहयोग करते हैं।

सभी के लिये उचित दण्ड का प्रावधान है, जिसमें माता-पिता के अलावा पुजारी, मौलवी, रिश्तेदार, बिचैलिये, केटरिंग, टेंट, नाई, ब्यूटी पार्लर, विवाह आयोजक, बैंड, प्रिंटिंग प्रेस वाले भी शामिल हो सकते हैं। बाल विवाह में पकड़े गये दोषियों को 2 वर्ष का कारावास एवं 1 लाख तक का जुर्माना या दोनों सजायें हो सकती हैं। उक्त अभियान अंतर्गत तुलसी विवाह के पश्चात बड़ी संख्या में शादियाँ आरम्भ हो जाती हैं। इसलिये पहले से ही अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करना अति आवश्यक है। साथ ही वन स्टॉप सेंटर एवं हब में दी जाने वाली सहायताओं के बारे में भी बताया गया। इस अवसर पर वन स्टॉप सेंटर के समस्त कर्मचारी उपस्थित रहे।

सड़क पर गिट्टी से चोटिल हो रहे आम जन

मण्डला, देशबन्धु। बम्हनी बंजर थाना क्षेत्र में आम इंसान की जान पर नगर बम्हनी बंजर, चिरईडोंगरी, सड़क मार्ग हो गई है।।। बम्हनी बंजर थाना क्षेत्र के भटियाटोला,भांरताल जैसे सड़क से निकल कर बम्हनी मार्ग पर प्रवेश करते ही डंफर का आतंक देखने को मिल रहा है। डोलोमाइट की गिट्टी से भरे ओवरलोड हाइवा, डंफर किस की सरपरस्ती में घटना को आमादा है ये देखा जाना चाहिए क्यू की बम्हनी बंजर थाना क्षेत्र थाना से लेकर बस स्टैंड बेजा संवेदन शील है पहले ही बस स्टैंड के पास ही पुर्व में डोलोमाइट से भरा ओवरलोड डंफर से स्कूल की छात्रों पर बड़ी अनहोनी होती होती बची थी जिस में 10 साइकिल छतिग्रस्त भी हुई थी। इस और न खनिज विभाग का ध्यान है न थाने का न ही आरटीओ का आज कल रात्रि में और सुबह से बम्हनी बंजर सड़क मार्ग पर जा रहे डोलोमाइट डंफर की गिट्टी बड़ी घटना को अंजाम देने में सहायक सिद्ध होती है इस समस्या के लिए विभाग की शिकायत 181 में भी की गई थी।